

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानन्द चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

निदेशक,
इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान,
पटना।

पटना, दिनांक- 7 / 12 / 2017

विषय:- इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना को स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल रु० 9,47,34,250/- (रुपये नौ करोड़ सैंतालिस लाख चौतीस हजार दो सौ पचास) मात्र के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक निदेशक, इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना के पत्रांक-2686 दिनांक-14.11.2017 के आलोक में इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना को विपत्र कोड-20-2210011100010 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में संलग्न विवरणी के अनुसार कुल रु० 9,47,34,250/- (रुपये नौ करोड़ सैंतालिस लाख चौतीस हजार दो सौ पचास) मात्र के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति दी जाती है।


2. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि०(2) दि०-17.04.98, 2880/वि०(2) दि०-06.05.06, 2938/वि०(2) दि०-08.04.08 एवं 3388/वि०(2) दि०-18.04.11 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है एवं इनके प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, निदेशक, इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0010-इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना, विपत्र कोड- 20-2210011100010 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से की जाएगी।


5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं पदस्थापित कर्मियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

6. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।



7. यह मात्र आवंटन है, व्यय की स्वीकृति नहीं। इस राशि से क्रय संबंधी कार्य वित्त नियमावली एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के आलोक में निर्धारित शर्तों के तहत किया जाएगा।
8. इस आवंटनादेश द्वारा 0010.52.01 मशीनें एवं उपस्कर-कार्यालय ईकाई में आवंटित राशि में संस्थान एवं इसके प्रयोगशालाओं के मशीनों एवं उपस्कर के मरम्मति एवं रखरखाव के लिए भी राशि शामिल है।
9. इस आवंटन से पूर्व के बकाये का भुगतान किया जा सकता है। न्यायादेश से आच्छादित मामलों में बकाये के भुगतान में प्राथमिकता दी जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लंबित दायित्वों के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लें कि बकाये की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और दावा नियमानुकूल है।
10. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, पटना से की जाएगी।
11. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।
12. इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन


07/12/17


(सच्चिदानन्द चौधरी)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-1/आई०जी०आई०सी०-03/2017-69(1)ब० /स्वा०, पटना, दिनांक- 7 / 12 / 2017
प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा० मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1 एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


7/12/17

सरकार के विशेष सचिव

इंदिरा गॉधी हृदय रोग संस्थान, पटना, विपत्र कोड- 20-2210011100010 को वित्तीय वर्ष
2017-18 में राशि का अतिरिक्त आवंटन

विषय शीर्ष	बजट उपबंध	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शेष राशि
0010.01.01 वेतन	94070000	70552500	23517500	94070000	0
0010.01.03 जीवन यापन भत्ता	127979000	95984250	31994750	127979000	0
0010.01.04 मकान किराया भत्ता	23700000	17775000	5925000	23700000	0
0010.01.05 परिवहन भत्ता	2508000	1881000	627000	2508000	0
0010.01.06 चिकित्सा भत्ता	657000	492750	164250	657000	0
0010.01.07 अन्य भत्ता	1481000	1110750	370250	1481000	0
योग- वेतन एवं भत्ते	250395000	187796250	62598750	250395000	0
0010.06.01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	1500000	750000	750000	1500000	0
0010.11.01 यात्रा व्यय	10000	5000	5000	10000	0
0010.13.01 कार्यालय व्यय	3000000	1500000	1500000	3000000	0
0010.13.02 वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	1000000	500000	500000	1000000	0
0010.13.03 दूरभाष	60000	30000	30000	60000	0
0010.13.04 विद्युत प्रभार	28000000	28000000	0	28000000	0
0010.13.05 विधि प्रभार	10000	10000	0	10000	0
0010.13.06 वर्दी/पोशाक	200000	100000	100000	200000	0
0010.14.01 किराया महसूल एवं कर	285000	285000	0	285000	0
0010.20.02 कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार	1000	500	500	1000	0
0010.20.03 प्रशिक्षण व्यय	1000000	500000	500000	1000000	0
0010.21.01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	3500000	1750000	1750000	3500000	0
0010.21.02 दवा भण्डार	25000000	18750000	6250000	25000000	0
0010.21.03 आहार/पथ्य	3000000	2250000	750000	3000000	0
0010.27.02 अनुरक्षण एवं मरम्मत	10000000	0	0	0	10000000
0010.28.01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	0	0	0	0	0
0010.28.02 संविदा सेवायें	40000000	30000000	10000000	40000000	0
0010.34.01 छात्रवृत्ति/वजीफा	1000000	1000000	0	1000000	0
0010.52.01 मशीनें एवं उपस्कर - कार्यालय	20000000	10000000	10000000	20000000	0
कुल योग :-	387961000	283226750	94734250	377961000	10000000

(रुपये नौ करोड़ सैंतालिस लाख चौतीस हजार दो सौ पचास)

69(1)ब०

7-12-17

(Handwritten Signature)
7/12/17

सरकार के विशेष सचिव